

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव

अध्यक्ष/सचिव, मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मसी, एन०एच०-11 सहाय नानपुर, आगरा। सेवापट्टी/दस्ता -
द्वितीय शिक्षा समिति देस्ट अर्जुन नगर, आगरा। 282001

पत्रांक-प्राशिप/परिषद/2022/5845

लखनऊदिनांक- 14-7-2022

विषय- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

मान्य,

उपरोक्त विषयक फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी०सी०आई०) के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 दिनांक 21-6-2022 एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करे, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूचना है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/पी०सी०आई०, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदन/संमोदन की सम्बद्धता पर विचार करता है।

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 एवं पी०सी०आई० नई दिल्ली के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 में दिए गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था का सहमति/अनापत्ति पत्र मा० उच्चतम न्यायालय में दायर एस०एल०पी० नं० 408/2022 में परिचित अंतिम निर्णय के प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा अर्जित सम्बद्धता/संमोदन विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रबंधों तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्राथमिक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किया जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही शपथ पत्र में दी गई जानकारी तथा पी०सी०आई० एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय संचालन एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन की गृह न होने तथा स्थलीय निरीक्षण में मानकों/शर्तों के पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी।

भवदीय

(सुनील कुमार सानावर)
सचिव

पत्रांक- प्राशिप/परिषद/2022/5846-47

दिनांक- 14-7-2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-कम-सोफ्टवेयर, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्पाइन्ड काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट टेम्पल रोड, कोटला रोड, एच०ए-गालिय मार्ग, नई दिल्ली- 110 002.

(सुनील कुमार सानावर)
सचिव